

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- सोहन लाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु  
राजस्व वाद संख्या :- 46/2021

वादीया

बनाम

प्रतिवादीगण

श्रीमति ललिता पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी मालाराम जाति सीरवी  
निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा

1. श्रीमति श्यामा पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी मोहनलाल जाति सीरवी  
निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा
2. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी बाबूलाल जाति सीरवी  
निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नी बाबूलाल  
जाति सीरवी निवासी पंवारों का बेरा  
भड़ाट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला  
जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती

उपस्थिति :- वादीया की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता  
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता  
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 28/2/22

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की 1/2 हिस्से की सयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 671, 687, 749, 855, 858, 1275, 1349, 1351, 4917, 4928, 4980, 4981, 5000, 5000/1 में से अपना 1/2 हिस्से की भूमि को निष्पादित करवा दिया। इसी प्रकार ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर आई हुयी है। यह भूमि वादी के पिता ढगलाराम की खातेदारी की थी। वादी को घर में लाड़ प्यार से गुडडी व ललीता के नाम से पुकारते हैं और वादीया का सरकारी दस्तावेज में वादीया का नाम ललिता लिखा हुआ है। जब वादीया के पक्ष में विवादित भूमि का बख्शीशनामा निष्पादित किया गया, उस समय बख्शीशनामा में वादीया का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिस कारण उपरोक्त खसरान् की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुडडीदेवी दर्ज है जबकि वादीया का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक नाम ललिता है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में गुडडीदेवी लिख देने से वादीया न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकती



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी

है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकती है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकती है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दर्ज 1/2 हिस्से के सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पत्नी मालाराम के स्थान पर श्रीमति ललीता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाने का आदेश फरमावे इसी प्रकार ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्से के सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर श्रीमति ललिता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार की ओर से पैरावाइज जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1079 में प्रविष्टि माडी पुत्री ढगलाराम, गुड्डी पुत्री ढगलाराम सयुक्त खातेदारी में दर्ज है। पद संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। पद संख्या 2 से 6 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 7 जमाबन्दी चौसाला 2052 से 2055 के खाता संख्या 316 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 2217 के ढगलाराम फौत होने से श्यामादेवी, माडीदेवी, कमलादेवी व गुड्डीदेवी का रेकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। पद संख्या 8 व 9 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 10 न्यायिक है। वादी वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1079 गुड्डीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर ललिता पत्नी मालाराम खातेदार काश्तकार घोषणा की इस्तदुआ है। अन्त जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नम्बर 687, 749, 855, 858, 1275, 1349, 1351, 4917, 4928, 4980, 4981, 5000, 5000/1 में दर्ज 1/2 हिस्से व खसरा नम्बर 1277, 4398, 4440, 4906, 4907, 5001, 5825, 674, 739 के 1/4 हिस्से के सयुक्त खातेदारी में श्रीमति गुड्डीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर श्रीमति ललिता पत्नी मालाराम के खातेदारी काश्तकारी घोषित किये जाने की वादी की इस्तदुआ है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा वादीया के वाद के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का किसी प्रकार का खण्डन न करके वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ के अनुसार वाद डिक्री किये जाने की अनुशंषा की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी की दुरुस्ती-के सम्बंध में सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980



रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दर्ज 1/2 हिस्से के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पत्नी मालाराम के स्थान पर श्रीमति ललीता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित/दुरुस्ती किया जाना उचित है एवं इसी अनुसार ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्से के सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर श्रीमति ललिता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित व दूरुस्त किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दर्ज 1/2 हिस्से के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पत्नी मालाराम के स्थान पर श्रीमति ललीता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित/दुरुस्ती की जाती है एवं इसी अनुसार ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्से के सयुक्त खातेदार श्रीमति गुड्डीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर श्रीमति ललिता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित व दूरुस्ती की जाती है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो मुतालिक दूरुस्ती/घोषित आदेश के अनुसार शुद्धि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में शुद्धि के अनुसार इन्द्राज करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(सोहन लाल)  
सहायक (I.A.S.) प्रशिक्षु  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)  
सहायक (I.A.S.) प्रशिक्षु  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी :- सोहनलाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

श्रीमति ललिता पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी मालाराम जाति सीरवी  
निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा

1. श्रीमति श्यामा पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी मोहनलाल जाति सीरवी  
निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा
2. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री स्व. ढगलाराम  
पत्नी बाबूलाल जाति सीरवी  
निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नी बाबूलाल  
जाति सीरवी निवासी पंवारों का बेरा  
भड़ाट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला  
जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा


दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 45/2021

निर्णय

दिनांक :- 28/12/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व. हाजिर श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दर्ज 1/2 हिस्से के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज सयुक्त खातेदार श्रीमति गुडडीदेवी पत्नी मालाराम के स्थान पर श्रीमति ललीता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित/दुरुस्ती की जाती है एवं इसी अनुसार ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्से के सयुक्त खातेदार श्रीमति गुडडीदेवी पुत्री ढगलाराम के स्थान पर श्रीमति ललिता पत्नी मालाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित व दुरुस्ती की जाती है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो मुतालिक दुरुस्ती/घोषित आदेश के अनुसार शुद्धि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में शुद्धि के अनुसार इन्द्राज करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।




*Sohn*  
(सोहन लाल)  
(I.A.S.) प्रशिक्षु  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/3/22 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

  
(सोहन लाल)  
(I.A.S.) प्रशिक्षु  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

